

न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, सीतापुर।

दीवानी वाद सं० 1030/13

सी०आई०एस० नं०-3401030/2013

सी०एन०आर० नं०-यू०पी०एस०आई०30006752017

माया

बनाम

चन्दरि आदि

दिनांक 21.02.2018

वाद पुकारा गया, कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी दिनांक 23.03.2017 को उपस्थित आये थे तथा दिनांक 19.04.2017 से वाद के पक्षकार लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा भी वाद की पैरवी नहीं जा रही है। कोई मौका या स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। वाद उभयपक्ष की अनुपस्थित में अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

दीवानी वाद सं० 1030/13, माया बनाम चन्दरि आदि, उभयपक्ष की अनुपस्थित में, अदम पैरवी में, खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक-21.02.2018

(रूपाली सक्सेना),  
न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश,  
सीतापुर।

पंकज/-